

EAST CENTRAL RAILWAY

Notification No: ECR/HRD/Gaz/Med./254/HVS-HC/2016 Dated - 31.01.2017.

Engagement of Honorary Visiting Specialist on contract basis.

1. Application is invited for engagement of Honorary Visiting Specialist for various Divisions/Units of East Central Railway. Willing Doctors who fulfill the qualification/eligibility criteria specified below may apply for the above engagement. The engagement will be offered purely on Contract basis for the period of one year which can be renewed as a fresh contract on year to year basis or the scheme is available whichever is earlier.

2. Description of posts

SN	Division/Place	Vacancy	No. of HVS to be engaged	Specialty of HVS to be engaged	Proposed duty hours of HVS
1	Central cum Super Specialty Hospital/ Patna	08	06	Nephrologist-1	2 Hrs.a day for 02 days/week
				Gastroenterologist-1	
				Cardiologist-1	2 Hrs.a day for 06 days/week
				Endocrinologist-1	
				Respiratory Medicine-1	2 Hrs.a day for 02 days/week
				Oncologist-1	
2	Mughalsarai Division	04	04	Gynaecologist-1	2 Hrs.a day for 06 days/week
				Pathologist-1	
				Ophthalmologist-1	2 Hrs.a day for 04 days/week
				ENT-1	
3	Danapur Division	02	02	Orthopaedic-1	2 Hrs.a day for 04 days/week
				Physician-1	2 Hrs.a day for 02 days/week
4	Sonpur Division	04	04	Gynaecologist-1	2 Hrs.a day for 02 days/week
				Orthopaedic Surgeon-1	2 Hrs.a day for 04 days/week
				Physician-1	2 Hrs.a day for 06 days/week
				Ophthalmologist-1	
5	Samastipur Division	04	04	Gynaecologist-1	2 Hrs.a day for 06 days/week
				Surgeon-1	
				Physician-1	2 Hrs.a day for 04 days/week
				Orthopaedic-1	
6	Sub-Divisional Hospital/Garhara of Sonpur Division	03	03	Physician-1	2 Hrs.a day for 06 days/week
				Surgeon-1	
				Ophthalmologist-1	

Contd...P/2



Contd... from P/1

SN	Division/Place	Vacancy	No. of HVS to be engaged	Specialty of HVS to be engaged	Proposed duty hours of HVS
7	Sub-Divisional Hospital/Gaya of Mughalsarai Division	03	03	Physician-1	2 Hrs.a day for 06 days/week
				Sugeon-1	
				Gynaecologist-1	
8	Dhanbad Division	04	04	Physician-1	2 Hrs.a day for 06 days/week
				Radiologist-1	
				Orthopaedic-1	
				ENT-1	
9	Sub-Divisional Hospital/Patratu of Dhanbad Division	03	03	Physician-1	2 Hrs.a day for 02 days/week
				Sugeon-1	
				Gynaecologist-1	
Total:-		35	33		

3. Qualification :

- Post-Graduate degree from a recognized University. Minimum 3 years experience in the professional work related to concerned Specialty after obtaining P.G.Degree.
- If PG degree not acquired, PG Diploma holders may apply with 5 years experience in the professional work related to concerned Specialty after obtaining P.G.Diploma.

4. Honorarium to be paid :

Hours of Duty	Specialist
2 Hrs. a day for 6 days/week	Rs.32,000/ P.M
2 Hrs. a day for 4 days/week	Rs.20,000/ P.M
2 Hrs. a day for 2 days/week	Rs.10,000/ P.M

5. Age profile:

- During first time engagement, the preferred age is between 30 years to 64 years.
- Upper age limit of continued engagement is 65 years.

6. Tenure of working:

- Each time the offer is given, it is to be given for year only.
- After expiry of one year, extension can be given subject to adoption of a transparent method based on the performance report to be recorded at a senior level by Medical department with the approval of General Manager of this Railway.

In addition they will have to come to Hospital whenever called in for emergency on any day, including Sunday and off day (for 4 days & 2 days/week) and at any time of the day.

Contd...P/3

Contd... from P/2

7. With the implementation of this scheme, the Honorary Visiting Specialists will be giving consultations & performing surgeries and other advice as required. They would be performing surgeries also in the Railway Hospitals, and those cases which require referral and the condition of that patient is such that it is manageable during operation and post operative period in that Railway Hospital, will not be referred to Private/Govt. Hospitals, for the specialty for which visiting specialists are available in that Railway Hospitals. It is further clarified that few high risk patients will still be required to be referred to higher medical Centers.

8. Daily rate of deduction of remuneration:

They are allowed to have 12 days leave every year. For any absence beyond 12 days, deductions will be made at the following rates –

Number of hours/days/week	Specialist
2 Hrs. a day for 6 days/week	Rs.1360/ P.D
2 Hrs. a day for 4 days/week	Rs.1250/ P.D
2 Hrs. a day for 2 days/week	Rs.1250/ P.D

9. Termination of contract:

The contracts may be terminated at any time, on one month notice on either side. The Administration reserves the right not to assign any reason for such termination.

10. How to apply:-

Application intending to join as Honorary Visiting Specialist should apply on prescribed format (enclosed) and submitted the same directly to Dr.V.K.Dubey, Chief Medical Superintendent, E.C.Railway, Divisional Railway Hospital/Mughalsarai as Chairman of selection committee within two months from the issue of this notification with attested copies of certificates mentioned below –

- Proof of age.
- Proof of passing Post-Graduate Degree/Diploma & other educational certificate issued from a recognized Institution/University.
- Proof of registration in Indian Medical Council/Medical Council of State.
- Mark Sheet(s) of relevant qualification.

11. General Conditions and other facilities:-

- In the event of absence from duty, deduction from the remuneration will be applicable as per para-8.
- Railway administration has legitimate right to transfer the engaged HVS any where over E.C.Railway in case of administrative exigency.
- One set of complementary Railway pass valid all over Indian Railway & Konkan Railway in AC two tier including Rajdhani Express and in AC Chair Car of Satabdi Express for self + Spouse and dependent Children (as per rules applicable for Railway employees) will be made available as per the entitlement of Selection Grade officers in each calendar year.
- The complementary pass can be availed after 3 months of engagement for the calendar year.
- HVS will have no right of posting against regular vacant post or transfer on request.
- The candidates working in any Medical Organization/State Govt. should submit their applications through proper channel with "No Objection certificate".
- Change of numbers of posts and place as specified above are subject to the condition.
- Posts indicated herein may be kept unfilled at the discretion of Railway administration.

Contd...P/4


Contd... from P/3

-4-

- (i) HVS engaged on contract basis in the Railway will not have any claim or right for his/her continuity in service or automatic extension of the term of contract service. The service rendered as a HVS will not confer the right to take waitage for regular selection through UPSC and also will not confer any right for regularization or absorption.
- (j) Offer of engagement will be issued in favour of selected candidates; the candidates should report within 15 days from the receipt of offer letter. The candidates not reported within stipulated time, offer may be treated as cancelled.
- (k) Contract of the HVSs can be terminated by the Railway at any time during the contract period by giving 30 days notice without assigning any reason as per the terms and condition laid down in Railway Board's L.No:2014/H-1/12/8/HVS/Policy dated-19.06.15.
12. Notification regarding engagement of HVS may be downloaded from E.C.Railway's website www.ecr.indianrailways.gov.in. (Click Hajipur>Personnel>Recruitment/ Selection/Notification).

Hindi version will follow.

DA: Application format.


(Manoj Kumar) 31/11/17
Dy. CPO/GAZ.
For General Manager (P)/HJP

APO/ATPP- For uploading on website.

05.11.17
31/11/17


31/11/17

PROFORMA FOR APPLICATION

To,
Dr.V.K.Dubey, Chief Medical Supdt.
Divisional Railway Hospital,
E.C.Railway/Mughalsarai

Sub:- Engagement of Honorary Visiting Specialist on Contract Basis.
Ref:- GM(P)/E.C.Railway/Hajipur's notification No:ECR/HRD/GAZ/Med./254/HVS-HS/2016
dated- 31 .01.2017.

As per above notification, I hereby apply my self as a candidate for engagement of Honorary Visiting Specialist on contract basis. My personal Bio-data is as under:-

1. Name :
2. Father/Husband's name :
3. Date of birth :
4. Age as on -01.12.2016 :
5. Community (UR/SC/ST/OBC) :
6. Address of communication :
7. Telephone number/Mobile number & E-mail address:.....
.....
8. Nationality :
9. Educational qualification/Professional Qualification :

Affix here self
attested
passport size
photograph

Particular of Examination	Result (year)	Medical University	Number of attempts	Percentage of marks

10. Date of completion of Internship :
11. Particulars of working as Honorary Visiting Specialist, if served earlier :

Name of Railway	Engagement/Contract station	Period of contract	
		From	To

12. Registration No. of Medical Council of India/State:.....
13. Preference for posting :
14. Experience details :

I hereby declare that the particulars given above are correct. If any information given by me is found incorrect/false at any stage, my selection/engagement is liable to be terminated without any further notice to me and action may be taken against me under criminal/civil law.

15. List of enclosure :

Signature of the candidate

Full name :

Address :

Place :

Date :

पूर्व मध्य रेल

अधिसूचना सं०-ईसीआर/एचआरडी/राज./मेड./254/एच.वी.एस-एच.सी./2016 दिनांक-31.01.2017.

संविदा के आधार पर मानद चिकित्सक विशेषज्ञ की नियुक्ति

पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों/यूनिटों के लिए मानद अभ्यागत विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक चिकित्सक जो नीचे निर्दिष्ट अर्हता/पात्रता मानदंड को पूरा करते हों, वे उपर्युक्त नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी जिसे वर्षानुवर्षा आधार अथवा उपलब्ध योजना, जो भी पहले हो, पर नई संविदा के रूप में नवीकरण किया जा सकता है।

2. पदों का विवरण -

क्र. सं.	मंडल/स्थान	रिक्ति	नियुक्त किए जाने वाले एच.वी.एस. की सं०	नियुक्त किए जाने वाले एच.वी.एस. की विशिष्टता	एच.वी.एस. के प्रस्तावित कार्य घंटे	
1	सेन्ट्रल सह सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/पटना	08	06	नेफ्रोलॉजिस्ट -1	02 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	
				गैसट्रोएंटरोलॉजिस्ट -1		
				कार्डियोलॉजिस्ट -1		06 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे
				इंडोक्रिनोलॉजिस्ट -1		02 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे
				रेसपिरेटरी मेडिसीन -1		
ऑनकोलॉजिस्ट -1						
2	मुगलसराय मंडल	04	04	गाइनोकोलॉजिस्ट -1	06 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	
				पैथोलॉजिस्ट -1		
				ऑफथलमोलॉजिस्ट -1		
				ई.एन.टी -1		04 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे
3	दानापुर मंडल	02	02	आर्थोपेडिक -1	04 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	
				फिजिसियन -1	02 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	
4	सोनपुर मंडल	04	04	गाइनोकोलॉजिस्ट -1	02 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	
				आर्थोपेडिक सर्जन-1	04 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	
				फिजिसियन -1	06 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	
				ऑफथलमोलॉजिस्ट -1		
5	समस्तीपुर मंडल	04	04	गाइनोकोलॉजिस्ट -1	06 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	
				सर्जन-1		
				फिजिसियन -1		
				आर्थोपेडिक -1		04 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे
6	उप-मंडलीय अस्पताल/गडहरा (सोनपुर मंडल)	03	03	फिजिसियन -1	06 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	
				सर्जन-1		
				ऑफथलमोलॉजिस्ट -1		

(Handwritten signature)

पृ/1 से लगातार

क्र. सं.	मंडल/स्थान	रिक्ति	नियुक्त किए जाने वाले एच.वी.एस. की सं०	नियुक्त किए जाने वाले एच.वी.एस. की विशिष्टता	एच.वी.एस. के प्रस्तावित कार्य घंटे
7	उप-मंडलीय अस्पताल/गया (मुगलसराय मंडल)	03	03	फिजिसियन -1 सर्जन-1 गाइनकोलॉजिस्ट -1	06 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे
8	धनबाद मंडल	04	04	फिजिसियन -1 रेडियोलॉजिस्ट -1 आर्थोपेडिक -1 ई.एन.टी -1	06 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे
9	उप-मंडलीय अस्पताल/पतरातू (धनबाद मंडल)	03	03	फिजिसियन -1 सर्जन-1 गाइनकोलॉजिस्ट -1	02 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे
कुल :-		35	33		

3. अर्हता -

- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री। स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशिष्टता से जुड़े वृत्तिक कार्य में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव।
- (ख) यदि स्नातकोत्तर प्राप्त न किया हुआ हो, स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशिष्टता से जुड़े वृत्तिक कार्य में 05 वर्षों के अनुभव, के साथ आवेदन कर सकते हैं।

4. भुगतान किये जाने वाले मानदेय -

कार्य-घंटे	विशेषज्ञ
06 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	रु 32,000/- प्रतिमाह
04 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	रु 20,000/- प्रतिमाह
02 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	रु 10,000/- प्रतिमाह

5 उम्र विवरणिका -

- (क) प्रथम बार नियुक्ति के दौरान, वरीय उम्र 30 वर्ष-से 64 वर्ष तक के बीच हो।
- (ख) सतत नियुक्ति की उपरी सीमा 65 वर्ष है।

6. कार्यवधि -

- (क) प्रत्येक बार प्रस्ताव दिया जाता है, इसे केवल एक वर्ष के लिए दिया जाता है।
- (ख) एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विस्तार किया जा सकता है वशर्ते कि इस रेलवे के महाप्रबंधक के अनुमोदन से चिकित्सा विभाग द्वारा किसी वरिष्ठ स्तर पर अभिलिखित निष्पादन रिपोर्ट पर आधारित कोई पारदर्शी विधि अपनाई जाती हो।

इसके अतिरिक्त, उन्हें किसी भी दिन रविवार एवं अकार्यदिवस (04 दिन एवं 02 दिन/सप्ताह के लिए) तथा किसी भी समय अमरजैसी के लिए बुलाए जाने पर अस्पताल आना पड़ेगा।

पृ/2 से लगातार

7. इस योजना के क्रियान्वयन से, मानद चिकित्सक विशेषज्ञ अपेक्षानुसार अपने परामर्श देंगे और सर्जरी करेंगे तथा अन्य सलाह देंगे। उन्हें रेलवे अस्पतालों में भी तथा उन केंद्रों में जिसमें रेफरल की आवश्यकता होगी और उस रोगी की हालत ऐसी हो कि जो ऑपरेशन के दौरान नियंत्रणीय हो, में सर्जरी करनी पड़ेगी। उस रेलवे अस्पताल में उत्तर ऑपरेटिव अवधि को निजी/सरकारी अस्पतालों, उस रेलवे अस्पतालों के उन स्पेशियलिटी अस्पतालों को जहाँ चिकित्सक विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, नहीं भेजा जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कुछ अत्यधिक जोखिम वाले रोगियों को उच्चतर चिकित्सा केंद्रों को भेजा जा सकेगा।

8. पारिश्रमिक कटौती की दैनिक दर -

उन्हें प्रत्येक वर्ष 12 दिन की छुट्टी लेने की अनुमति है। 12 दिन के बाद किसी भी अनुपस्थिति के लिए कटौती निम्न दरों पर की जाएगी -

घंटे/दिन/सप्ताह की सं०	विशेषज्ञ
06 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	रु 1360/- प्रतिदिन
04 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	रु 1250/- प्रतिदिन
02 दिन/सप्ताह के लिए प्रतिदिन 02 घंटे	रु 1250/- प्रतिदिन

9. संविदा की समाप्ति -

संविदा को दोनो ओर से एक माह की सूचना पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। प्रशासन को यह अधिकार है कि इस प्रकार की समाप्ति के लिए कोई कारण न बताए।

10. आवेदन कैसे करें -

मानद चिकित्सक विशेषज्ञ के रूप में ज्वाइन करने को इच्छुक उम्मीदवार को विहित प्रपत्र (संलग्न) पर आवेदन करना चाहिए और उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ सीधे नामित समिति के अध्यक्ष डॉ० भी० के० दुबे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पूर्व मध्य रेल, मंडलीय रेल अस्पताल/मुगलसराय को अधिसूचना जारी होने के दो माह के अंदर भेजना चाहिए -

- (क) आयु प्रमाण-पत्र।
(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से जारी उत्तीर्ण स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा एवं अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र का प्रमाण।
(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीकरण का प्रमाण।
(घ) अपेक्षित अर्हता का अंक पत्र।


11. सामान्य शर्तें तथा अन्य सुविधाएं -

- (क) झूटी से अनुपस्थित होने पर पारिश्रमिक के कटौती पैरा-8 के अनुसार लागू होगी।
(ख) तत्काल प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति में कार्यरत एच.वी.एस. को पूर्व मध्य रेल पर कहीं भी स्थानान्तरित करने का रेल प्रशासन को वैद्य अधिकार है।
(ग) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में प्रवरण ग्रेड के अधिकारियों की हकदारी के अनुसार सभी भारतीय रेल तथा कॉकण रेल पर विधि मान्य एक सेट मानार्थ रेलवे पास स्वयं + पत्नी एवं आश्रित बच्चों (रेलकर्मियों के लिए लागू नियमों के अनुसार) के लिए राजधानी एक्सप्रेस के 2 टियर और शताब्दी एक्सप्रेस के ए.सी. चैयर कार में उपलब्ध कराया जाएगा।
(घ) नियुक्ति के 3 माह बाद कैलेंडर वर्ष के लिए मानार्थ पास की सुविधा ली जा सकती है।
(च) एच.वी.एस. की नियमित रिक्त पद अथवा अनुरोध पर स्थानान्तरण के विरुद्ध पदस्थापना का अधिकारी नहीं होगा।
(छ) किसी चिकित्सा संगठन/राज्य सरकार में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से अपने आवेदन "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
(ज) उपर निर्दिष्ट पदों की संख्या तथा स्थान में परिवर्तन शर्तों के अधीन है।

पृ/3 से लगातार

- (झ) इसमें उल्लिखित पदों को रेलवे प्रशासन के विवेक पर कहीं भी भरा जा सकता है।
(ट) रेलवे में संविदा के आधार पर कार्यरत एच.वी.एस. सेवा में अपने को बनाए रखने अथवा संविदा सेवा की अवधि के स्वतः विस्तार के लिए कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।
(ठ) एच.वी.एस. के रूप में प्रदत्त सेवा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन के लिए महत्व लेने का अधिकार नहीं देगा तथा निसमितीकरण अथवा आमेलन के लिए कोई अधिकार भी प्रदान नहीं करेगा।
(ड) नियुक्ति का प्रस्ताव चयनित उम्मीदवारों के पक्ष में जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को प्रस्ताव पत्र की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट करना चाहिए। निर्धारित समय के अंदर रिपोर्ट नहीं करने वाले उम्मीदवारों का प्रस्ताव निरस्त माना जा सकता है।
(ढ) रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-2014/एच-1/12/8/एचवीएस/पॉलिसी दिनांक-19.06.2015 में निर्धारित नियम और शर्त के अनुसार, एच.वी.एस की संविदा को रेलवे द्वारा संविदा अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए 30 दिन की सूचना देते हुए समाप्त किया जा सकता है।
12. एचवीएस की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना को पूर्व मध्य रेल की वेबसाइट www.ecr.indianrailways.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।

संलग्न दस्तावेज : आवेदन प्रपत्र।


(मनोज कुमार)
उपमुख्य कार्मिक अधिकारी(राजपत्रित)
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

APC/MPP - For uploading on website.
31/1/13

आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

डॉ० भी० के० दुबे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
मंडलीय रेल चिकित्सालय,
पूर्व मध्य रेल/मुगलसराय।

विषय:- संविदा के आधार पर मानद अभ्यागत विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति।

संदर्भ :- म.प्र.(का.)/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर की अधिसूचना सं०- ईसीआर/एचआरडी/राज./मेड./254/एच.वी.
एस-एच.सी/2016 दिनांक-31.01.2017.

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, मैं एतद्वारा, स्वयं एक उम्मीदवार के रूप में संविदा के आधार पर मानद अभ्यागत विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति हेतु आवेदन करने को इच्छुक हूँ। मेरा वैयक्तिक विवरण (बायोडाटा) निम्नानुसार है:-

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. 01.12.2016 को उम्र :
5. समुदाय (अना./अजा./अजजा./अपिव.) :
6. पत्रव्यवहार का पता :
7. टेलीफोन नं०/मोबाईल नं० एवं ईमेल पता :

स्वअभिप्रेमणित
पासपोर्ट आकार के
फोटो चिपकाए

8. राष्ट्रीयता :
9. शैक्षिक अर्हता/वृत्तिक अर्हताएं :

परीक्षा विवरण	परिणाम (वर्ष)	आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय	किए गए प्रयासों की संख्या	अंको का प्रतिशत

10. प्रशिक्षता-समापन की तिथि :
11. यदि पूर्व में सेवारत रहे हों, मानद चिकित्सक विशेषज्ञ के रूप में कार्य के ब्यौरे :

रेल का नाम	नियुक्ति/संविदा स्टेशन	संविदा की अवधि	
		से	तक

12. भारतीय/राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् का पंजीकरण सं० :
13. तैनाती की वरीयता :
14. अनुभव विवरण :

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर दिए गए विवरण सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई जानकारी किसी भी चरण में गलत/मिथ्या पाई जाती है, तो मुझे बिना कोई कारण बताए, मेरा चयन/नियुक्ति समाप्त की जा सकती है तथा मेरे विरुद्ध आपराधिक/सिविल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

15. अनुलग्नकों की सूची :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पता :

स्थान :
दिनांक :